# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 1397/2026**

CNR No.- UPGD010039542026

**बृजेश शुक्ला,** आयु करीब 42 साल, पुत्र स्व0 काशीनाथ शुक्ला, निवासी–ग्राम बेहड़ा बसभरिया, थाना–कौड़िया, जनपद–गोण्डा।

.....आवेदक/अभियुक्त।

**बनाम**

**सरकार उत्तर प्रदेश।**

.....अभियोजन।

**दिनांक–08.06.2026**

**1.** यह प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **बृजेश शुक्ला** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–255/2026 अन्तर्गत धारा–109(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना–करनैलगंज, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**2.** आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

**3.** वादी मुकदमा नरेन्द्र प्रताप राय, प्रभारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.05.2026 को समय 06:07 बजे थाना करनैलगंज, गोण्डा में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है कि दिनांक 04.05.2026 को वह मय पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र तथा वांछित/वारण्टी की तलाश में बरगदी मोड़ पर मौजूद था तभी मुखबिर की सूचना पर कि दिनांक 28.04.2026 को वादी राजन सोनी के साथ हुई लूट की घटना करने वाले लुटेरे एक मोटरसाइकिल से लूट में मिले जेवरात को बेचने के लिए कैसरगंज की तरफ से नारायनपुर मांझा होते हुए आ रहे है, यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते है। जिस पर पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर घेराबन्धी की गयी, तभी थोड़ी देर बार तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से कैसरगंज की तरफ से रेलवे क्रासिंग नरायनपुर माझा पार करते हुए दिखायी दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वे मोटरसाइकिल मोड़कर भागना चाहे कि अचानक मोटरसाइकिल लेकर गिर पड़े तथा पुलिस से घिरता देख, उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया जो उसके कान के पास से होते हुए निकल गयी, संयोगवश वह बाल–बाल बच गया। पुलिस टीम द्वारा बचाव में चार राउण्ड फायर किया गया, जिसमें से एक गोली, फायर कर रहे व्यक्ति के बाएं पैर में लगी तथा दो व्यक्ति भागने का प्रयास किए, जिन में से एक को पकड़ लिया गया व एक अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गया। घायल व्यक्ति बृजेश शुक्ला की जामातलाशी पर उसके पास से 220/– रूपये, एक मोबाईल, एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, जिसका लाइसेंस मांगने पर दिखाने में कासिर रहा। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अमर शुक्ला अमर शुक्ला ननकन शुक्ला बताया, जिसके पास से 5200/– रूपये बरामद हुए। भागे हुए व्यक्ति का नाम पूछने पर उसका नाम शुभम

तिवारी बताया। पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा दिनांक 28.04.2026 को एक सोनर से जेवरात व रूपये छीनने व अन्य कारित घटनाओं के सम्बन्ध में बताया गया। अभियुक्तगण को उनका अपराध बोध कराते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार हिरासत में लिया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के परिजनों को दी गई।

**4.** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में फर्जी तरीके से झूठा व रंजिशन फंसाया गया है, उसके द्वारा कथित अपराध कतई कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिल्कुल गलत व झूठे कथनों पर दर्ज करायी गयी है, वह न तो कथित दिनांक समय व घटनास्थल से गिरफ्तार हुआ है और न ही उसके पास से कथित कारतूस, कट्टा की बरामदगी हुई है। पुलिस पार्टी पर हमला करने का आरोप लगाया गया है, जबकि किसी पुलिस को चोट नहीं आयी है। घटनास्थल से काई छर्रा इत्यादि बरामद नहीं हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। कथित घटना का कोई साक्षी नहीं है, जो भी साक्षी है वे पुलिस के लोग है। उसको पुलिस घर से बुलाकर ले गयी और उसको फायर आर्म की चोट पहुंचाकर झूठी घटना बनायी गयी है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो बरामदगी है दिखायी गयी है, वह फर्जी व काल्पनिक है। थाने पर बैठकर फर्जी बरामदगी तैयार कर फर्जी मुकदमे में उसका चालान किया गया है। सह अभियुक्त अमर शुक्ला की जमानत दिनांक 25.05.2026 को स्वीकार हो चुकी है, आवेदक/अभियुक्त का केस सह अभियुक्त से बेहतर फुटिंग का है। वह किसी मामले में दोषसिद्ध नहीं हुआ है। उपरोक्त कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

**5.** अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस बल पर उन्हें जान से मारने की नीयत से उन पर फायर करने तथा उनके संयुक्त कब्जे से एक अदद तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस तथा चोरी का अन्य सामान बरामद होने का आरोप है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का एक अन्य मामले का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

**6.** मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित अभिलेख व केस डायरी का अवलोकन किया।

**7.** केस डायरी में संलग्न फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना में कुल 2 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर करना कहा गया है, किन्तु आग्नेयास्त्र की चोट किसी भी पुलिसकर्मी को आना दर्शित नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में कोई आघात आख्या प्रस्तुत की गई है, जबकि पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में

आवेदक/अभियुक्त के पैर में गोली लगना बताया गया है। कथित अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं है। कथित बरामदगी व गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी प्राथमिकी में अंकित नहीं है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। सम्बन्धित थाने की आख्या में आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व सजायाबी आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। सह अभियुक्त अमर शुक्ला उर्फ ननकन शुक्ला का जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। वर्तमान अभियुक्त का मामला सह अभियुक्त से गुरूत्तर प्रकृति का नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

**8.** अतः मामले के तथ्यों एवं परस्थितियों में अपराध के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त बृजेश शुक्ला की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त **बृजेश शुक्ला** की ओर से मु0अ0सं0–255/2026 अन्तर्गत धारा–109(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1397/2026 **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

आवेदक/अभियुक्त इस आशय का अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करे कि–

**1–** अभियुक्त विवेचना/विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या बचन नहीं देगा और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

**2–** अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण में प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

**3–** अभियुक्त द्वारा कोई भी स्थगन साक्ष्य की अवस्था पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जबकि गवाह उपस्थित हों और आवेदक आरोप विरचित किये जाने के समय, बयान के समय, 351 भा0ना0सु0सं0 के बयान के समय और मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय उपस्थित रहेगा।

ऐसा करने में यदि उसके द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है, तो सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह जमानत शर्तों का दुरूपयोग मानते हुए उसकी जमानत निरस्त कर दे और विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाए।

**(सूर्य प्रकाश सिंह)**
**प्रभारी सत्र न्यायाधीश,**
**गोण्डा।**

**दिनांक–08.06.2026**